Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ....बयाना...........................

निहाल आदि...............................बनाम .... बहादुर बगैराह.....................................

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं......................सन् 79/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
22/5/25	प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 31 रकवा 0.12 है0 वाके ग्राम बाबडी तहसील बयाना में डौल मेडो को तोडकर कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें। बेदखल नहीं करें। उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। हमने एड. प्रार्थी व एड. कैबियेटकर्ता को सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। तहसीलदार बयाना को पत्र जारी हो। खसरा नं. 30 व 31 का सीमाज्ञान दोनों पक्षकारों की उपरिथति में किया जावे। सीमाज्ञान का खर्चा संबंधित पक्षकार वहन करेंगे। जब तक सीमाज्ञान नहीं हो तब तक खसरा नं. 30 व 31 के खातेदार एक दूसरे की तरफ निर्माण कार्य नहीं करें। **नोट– यह आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थी को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 08.08.2025 को पेश हो। (signature) उप खण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज पीठासीन अधिकारी ...अवकाश... है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ...22/10/25... को पेश है। (signature) रीडर उ/एसडीएम	Not Press (signature)
8/8/25		

27/10/25 प्रकरण पेश हुआ। प्रकरण में ६८० प्रार्थीगण अप०। ६८० प्रार्थीगण ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण इसी स्तर पर खारिज कर दिया जावे। ६८० प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण Not-Press किया गया।

अतः ६८० प्रार्थीगण के Not-Press किये जाने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैफत शुमार होकर नक्शा से कम हो बाद-तकमील दाखिल दफ्तर हो।